International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 02(I), April- June, 2025, pp. 75-83

महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक स्थिरता

बाल चंद रेगर*

शोधार्थी, राजनीति–विज्ञान, कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

*Corresponding Author: balchand.borda1986@gmail.com

सार

महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिला पुरुष जाति की सोच में परिवर्तन की राह ढूंढ रही है। सशक्तिकरण एवं शिक्षा के बीच संबंध महिला का विकास शिक्षित होने में ही निहित है। तभी वह आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकेगी। आधुनिकता की और अग्रसर करने में भी शिक्षा सहयोगी है। एक पुरुष जितना महत्वपूर्ण है एक महिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के श्रम एवं प्रयत्नों से समाज की भलाई होती है। महिला बच्चे की प्रथम गुरु मानी जाती है। मां द्वारा बच्चें की शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक पालन होती है। इस पर भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारतवर्ष में महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर नैतिक रूप से अविश्वसनीय, आर्थिक रूप से बोझ एवं बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। गंभीर आध्यात्मिक गतिविधियों से उन्हे दूर ही रखा जाता है। पुरुषों को प्रभावी स्थान प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है जबकि स्त्रियों को सेवा भाव की। इस इकाई में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि इस पुरुषवादी एवं भौतिकवादी संस्कृति में महिलाओं के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसमें कुछ विषयों पर प्रस्ताव किए गए हैं जिन्हें अपनाकर महिलाएं अपनी शक्ति प्राप्त कर सकती हैं तथा समाज व परिवार में उन्हें पुरुषों को पूरक के रूप में उनके समान दर्जा प्राप्त कर सकती है। इसमें बताया गया है कि जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वह समाज आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का भी सम्मान करता है। एक सशक्त महिला को खुद पर गर्व होता है और उसे अपने स्त्री होने पर खुशी होती है। स्थापित सांस्कृतिक वृत्ति के अनुरूप अनेक महिलाएं खुद को शारीरिक–मानसिक–बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में अयोग्य मानती है और उन्हें लगता है कि वह सब कुछ नहीं कर सकती जो एक पुरुष कर सकता है। सांस्कृतिक स्थिरता सांस्कृतिक स्थिरता का तात्पर्य है कि लोग अपनी सांस्कृतिक मूल्य और परंपराओं के प्रति जागरूक और सम्मान के साथ अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए सशक्त हो तथा समाज में सक्रिय भूमिका निभा सके। जैसे–विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान –इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि हम सभी संस्कृतियों को समान रूप से महत्व दे और उनका सम्मान करें। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण– इसके द्वारा लोगों को अपनी विरासत को सुरक्षित करने और आने वाली पीढियां तक इसे पहुंचाने में मदद करता है। संस्कृततिक विविधता को बढ़ावा –इसके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ विकसित करना तथा सह– अस्तित्व को बढ़ावा देना है। सामाजिक सांस्कृतिक असमानता :–सामाजिक सांस्कृतिक असमानता में लिंगानुपातमात्र मृत्यु दर कुपोषण शिक्षा लिंग आधारित हिंसा आदि का समावेश किया जाता है। सांस्कृतिक स्थिरता को सतत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता हैंजो सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। सांस्कृतिक स्थिरता के अंतर्गत निम्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सांस्कृतिक विविधता का सम्मान सांस्कृतिक पहचान का विकास सांस्कृतिक आदान–प्रदान सांस्कृतिक विकास। संस्कृत स्थिरता को सतत विकास की दिशा में पूरी की जाने वाली एक पूर्व शर्त भी माना जा सकता है। हालांकि सतत् विकास के सामान्य ढांचे के भीतर सांस्कृतिक स्थिरता का सैद्धांतिक और वैचारिक समझ अस्पष्ट बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरुप पर्यावरण आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक नीति में संस्कृति की भूमिका को गलत तरीके से लागू किया जाता है।

शब्दकोश: *सशक्तिकरण, आरक्षण, आयाम, पुनर्जागरण, पितृ सत्तात्मक, स्वायत्तता।*

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिकक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदारी व राज्य के निति निर्देशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, स्वावलम्बन का अधिकार आदि मुद्दों को समाहित किया गया है। आज के परिवेश में इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि महिलाओं में उनकी स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे केवल महिलाओं को कल्याण नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास की प्रवर्तक बन सके। महिलाएं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता, आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेगी तब तक कोई बाध्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता।अतः महिलाएं आंतरिक व बाह्य रूप से सशक्त होना आवश्यक है। इसलिए एक वाक्य हमेशा कहा जाता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूजते रमंते तत्र देवता'' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है, पूजा का अर्थ सम्मान से है।, नारी का जहां सम्मान होता है वही सुख एवं समृद्धि का वास होता हैं, नारी को सम्मान देना हमारी संस्कृति हम सभ्यता की प्राचीन परंपरा रही है सृष्टि के निर्माण से ही नारी सम्मानीय समझी जाती रही है तथा हमारे धर्म ग्रंथ में नारी को देवी कहा गया है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएं अपने आप को एक सशक्त महिला में प्रस्तुत करेगी। सशक्तिकरण बाहर से नहीं थोपा जा सकता है यह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है।

पुरुष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से हैं भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

एक महिला को खुश रहने का, जानने का एवं अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों को चुनने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि अपने शरीर से संबंधित उसके विचारों को सम्मान दिया जाए। परिवार व समाज में उसका सम्मान किया जाए। इस सशक्त महिला गुलामी से आजाद होती है। परिवार समाज एवं राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले मानसिक, शारीरिक, एवं नैतिक शोषण से वह स्वतंत्र होती है। उसे यह अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूर्णतः अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्दिक, कलात्मक एवं राजनीतिक विकास कर सके। अपने पति एवं ससुराल वालों को प्रति जैसा व्यवहार वे चाहते हैं वैसा न करने पर महिला पर दुश्चरित्र का आरोप लगा दिया जाता है और उसे शर्मिंदा किया जाता है यह उसके प्रति नैतिक दुर्व्यवहार हैं। बिना किसी प्रमाण के उस पर किसी पुरुष के साथ के संबंध रखने का आरोप लगा दिया जाता है। आज पुराने जमाने की सामाजिक वृत्ति को चुनौती देने की आवश्यकता है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्तव दिया जाता है। सैकड़ो वर्षों से उसे मूलभूत मानवीय, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब समाज किसी भी तरह इन प्रथाओं एवं व्यवहार को सही नहीं बता सकता है। समझदारी की इस कमी के कारण हमारी सभ्यता पीड़ित रही है और उसे हानि उठानी पड़ी है।

मूल्यों एवं आध्यात्मिकता का पाठ्यक्रम यह स्थापित करना चाहता है कि संसार में संतुलन कायम रखने के लिए सशक्त महिलाओं की आवश्यकता है। महिलाओं को चाहिए कि वह पुरुषों के बराबरी एवं उनका पूरक होने का अपना उचित स्थान प्राप्त करें। इसी आधार पर समाज में संतुलन कायम हो सकता पाएगा। भारतीय समाज में पुरुषों को महिलाओं के कानूनी अधिकारों को समझना चाहिए। महिला अधिकारों की प्राप्ति मानवाधिकारों की प्राप्ति है।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है सशक्तिकरण। जिसमें 'स' उपसर्ग हैं। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है– सशक्तिकरण यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है।

भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास

1848 में सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जी जैसे समाज सुधारको ने विभिन्न सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा दिया। इस राष्ट्रीय विद्रोह ने विभिन्न सुधारो को जन्म दिया जैसे की सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल स. संयम अधिनियम 1929, संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 आदि। एक

सशक्त महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और उसे इसका ज्ञान होता है, कि वह अपने फैसले खुद लेने को स्वतंत्र होती है और अपने इन अधिकारों का उपभोग करती है। अगर कोई महिला घर में रहना चाहती हैं अथवा घर से बाहर जाकर कोई काम करना चाहती हैं तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाषा, वृत्ति एवं प्रथाओं के अंदर छिपी हुई लिंग भेद जनित पूर्वाग्रह के प्रति वह जागरूक होती है। वह उन्हें पहचान लेती है और बुद्धिमत्ता पूर्ण रीति से उसका जवाब देती है। समझ के आधार पर वह अपनी योग्यताओं के प्रयोग की क्षमता का वह प्रदर्शन करती हैं।

घरेलू हिंसा एक वैश्विक समस्या है भारतवर्ष में जाति, वर्ग एवं धर्म की सीमाओं से परे सर्वत्र घरेलू हिंसा एक आम बात है। इस देश में महिलाओं, शिशुओं की हत्या का एक लंबाई इतिहास रहा है। और अब महिला भ्रूण हत्या का सिलसिला भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में कम उम्र की युवतियों का विवाह कर दिया जाता है, और उसके बाद युवतियां मातृत्व कर्म, बच्चों का पालन पोषण एवं घरेलू कामों के झंझटों में उलझ जाती है। इन दिनों कमउम्र में ही लड़कियों को विद्यालय से हटा लिया जाता है, और माता–पिता अपनी पसन्द से किसी लड़के के साथ बलपुर्वक उसका विवाह कर देते है। सैद्धांतिक रूप से लड़कियों को अधिकार दिए गए हैं मगर उनका अपने शरीर एवं जीवन पर भी व्यावहारिक रूप से अधिकार नहीं होता है। महिला मुक्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा है घरेलू हिंसा। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कानून बने हुए हैं। 1993 में मानवाधिकार पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में पहली बार महिलाओं के अधिकारों पर बात की गई है। घरेलू हिंसा का व्यक्तिगत मुद्दा से सार्वजनिक मुद्दा बन जाने के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को निर्देश दिया गया कि घरेलु हिंसा को मानवाधिकार के रूप में लिया जाए। अनेक महिलाएं आज भी ऐसा महसूस करती है कि उनकी अपनी कोई पसंद नहीं है और एक महिला के रूप में जन्म लेने का अर्थ है परेशानियां को सहन करना।

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

महिला को सशक्त बनाने के कही आयाम, कही दिशाएं, कही प्रकार हो सकते है। कुछ प्रमुख आयाम को हम यह विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु यह भी विचारने प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक हैं? इसके अभाव में समाज को क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक

किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक हैं। यहां यह पहल करना है कि विकास मनको की प्राप्ति में महिलाएं और पुरुष बराबर योगदान कर सके। वातावरण लिंग भेद से रहित हो ।महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम है जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण के आयाम

महिलासशक्तिकरण को समझना के लिए इसकी विविध आयामों को समझना हो सके इस धारणा के मूल में स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते भी समता मूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना नित है इस प्रक्रिया के अनेक आयाम है जैसे–

- शैक्षिक
- स्वास्थ्य
- आर्थिक
- सामाजिक
- विधिक
- राजनैतिक
- भावनात्मक

शैक्षिक सशक्तिकरण

एक सुरक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती हैं। संतान की प्रथम गुरु अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षित हो तो भाभी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है। इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं। ध्यान रखना योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण पैसलो में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक समाज में देखा जा रहा हैं। लोग बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेने लगे है। आवश्यकता यह है कि उनके युवा होने पर भी यह रूचि बनी रहे तथा पढ़ाई समाप्त होने पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण

इसका अर्थ अखाड़े में उतरना नहीं है।इस सशक्तिकरण का अभिप्राय स्त्रियोंभारतीयवास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परंपरा तो कई बार जीरो फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है। जिसके कारण शरीर कमजोर तथा रोगी हो जाता हैं। शरीर से कमजोर महिलाएं प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है। कमजोर मां की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ विकास नहीं हो पता हैं, जिससे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। रोगिणी स्त्री अपना अथवा अपने परिवार का ध्यान रखने में भी असमर्थ होती है। ऐसी स्त्रियां योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पाती है ।इसलिए उन्हें अपने खान–पान पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए।हम सभी जानते हैं जान है तो जान है!

आर्थिक सशक्तिकरण

आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए ।महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार, में समृद्धि आती हैं,साथ ही वह अपने कई इच्छाओं (पहनने–ओढ़ने, खाने–पीने, घूमने–फिरने) को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा नीजी संस्थाओं में नौकरी करने के अलावा स्त्रियां स्वयं व्यवसाय भी कर सकती है। यदि पति अथवा पिता आर्थिक रूप से संपन्न हो तो भी अपनी रुची के अनुसार कुछ काम अवश्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं की योग्यता सिद्ध कर सके तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

औसत सकल घरेलू उत्पाद के 17 प्रतिशत पर भारतीय महिलाओं का आर्थिक योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है, और उदाहरण के लिए, चीन में 40 प्रतिशत के प्रतिकूल है। भारत अपनी वृद्दि को 1.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर सकता है यदि लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं कार्य बल में शामिल हो तो।यह अनुमान लगाया गया है कि यदि औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के समान दर पर किया जाता है,तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 60 प्रतिशत की वृद्धि कर रही है जिससे 2.9 ट्रिलियन डॉलर शामिल हो सकते हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण की शुरुआत परिवार से होती है, क्योंकि परिवार के योग से समुदाय तथा समाज का निर्माण होता हैं। यदि परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो वह स्वयं सामाजिक रूप से भी सशक्त हो पाएगी। इसके लिए परिवार में पुत्र –पुत्री भेदभाव,घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने के बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बुजुर्गों का सहयोग तथा बाल्यावस्था में ही पुत्रों का विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता हैं, सुनता

है और समझना है अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है।यह समझना आवश्यक है कि सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है।इसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है तथा विलय समाज की विचारधारा के साथ होता हैं। वही विचारधारा उसे कालांतर में विकसित एवं पोषित करती है, जिससे हम प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखते है। उदाहरण के लिए आज से कुछ वर्ष पहले पेट्रोल पंप पर स्त्रियों को दिखा जाना कौतुल की बात थी आज लगभग सभी वर्ग में स्त्रियों द्वारा दो पहिया वाहन चलाने का चलन प्रारम्भ हो चुका है। आज पेट्रोल पंप पर वाहन चालिका ही नहीं बल्कि वहां कार्य करने वाली महिलाएं भी दिखती है।इस चलन का प्रारंभ किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा, जिसे समाज में धीरे–धीरे स्वीकारा तथा अब यह चलन के द्वारा पोषित हो रही है तो किसी को एतराज भी नहीं हैं।

विधिक सशक्तिकरण

भारतीय संविधान महिला एवं पुरुषों को बराबरी का दर्जा देता है ।संविधान की दृष्टि में दोनों समान है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं।इन प्रयासों को दो श्रेणियां में बांटा जा सकता है पहली श्रेणी में वह प्रयास रखें जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीडन से मुक्त करने के लिए अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाए हैं।घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी में वे प्रयास आते हैं जिनमें नारी क्षमता की सवंर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिलाओं के उन समस्त विधिक आयामों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाते है।

संवैधानिक प्रावधान–लैंगिक समानता की गारंटी देने वाले कुछ विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं

- अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है और उसे कानून का सामान संरक्षण प्राप्त है।
- अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, लिंग, रीति –रिवाजो, जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को किसी भी कार्यालय में रोजगार के संदर्भ में समान अवसर प्रदान करता हैं।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा

भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत महिलाओं के खिलाफ निम्नलिखित अपराधों की पहचान की गई–

- बलात्कार (धारा 376)
- यौन उत्पीड़न (धारा 509)
- यातना (धारा 498 ए)
- दहेज, दहेज हत्या (धारा 302 धारा 304 बी)
- छेड़छाड़ (धारा 354)

भारत में विभिन्न कानूनी प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं उनमें से कुछ निम्न है–

- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976**

यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को किये गए काम के लिए समान वेतन और मजदूरी मिले और रोजगार के मामलों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो।

- **दहेज निषेध अधिनियम 1961**

देहज निषेध अधिनियम 1961 की स्थापना विवाह के प्रतिकूल के रूप में दहेज देने या स्वीकार करने की प्रथा को रोकने के लिए की गई थी।

- **विशेष विवाह अधिनियम 1954**

1954 में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम विवाह का एक विशेष रुप प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, चाहे वह किसी भी धर्म या धर्म में विश्वास करते हो!

- **मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्रेंसी एक्ट 1971**

यह अधिनियम अवैध गर्भपात की प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था।इस अधिनियम में उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके द्वारा गर्भावस्था को समाप्त या गर्भपात किया जा सकता हैं।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम 2013**

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के मामले में न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है।इन सिद्धांत को बाद में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में बदल दिया गया!

- **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन**

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 1993 लागू हुआ था। इस कन्वेंशन को महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण का एक अंतरराष्ट्रीय बिल कहा जाता है!

राजनीतिक सशक्तिकरण

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का अभूत पूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबरी और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में सभी अपने योग्यताएं और परिश्रम से मानक स्थापित कर रही हैं।

विधान मंडल में महिलाएं

- 17वीं लोकसभा में कुल सीटों में से 14.92 प्रतिशत सदस्य (78) महिलाएं हैं। राज्यसभा में 11.84 महिला सांसद है।
- अखिल भारतीय स्तर पर राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 8 प्रतिशत है।
- केंद्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 2015 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2019 में 10.5 प्रतिशत हो गया है ।

न्यायपालिका में महिलाएं

- वर्तमान में स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की संख्या के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।
- देश की विभिन्न उच्च न्यायालय में 1098 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध 83 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

पुलिस में महिलाएं

महिला सशक्तिकरण पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत

2010 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र महिला सिद्धांत, लोगों को यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन के हर क्षैत्र महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए।

आजादी के बाद सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न आयोगो और नीतियों को लागू किया है। उनमें से कुछ नीतियां है–

- **महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय नीति**

  राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिलाओं का उत्थान और कल्याण है।

- **राष्ट्रीय महिला आयोग**

  राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। इससे महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया था!

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**

  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हाल ही में ही 2015 में शुरू की गई थी इस अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है।

- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता**

  यह कार्यक्रम 1986 में लागू हुआ। यह योजना महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार बनने के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण इसके उद्देश्यों में शामिल है।

- **उज्ज्वला योजना**

  2007 में लॉन्च, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को रोकना है।

महिला सशक्तिकरण की योजनाएं

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
- वन स्टॉप सेंटर योजना।
- महिला हेल्पलाइन योजना।
- उज्ज्वला ।
- कामकाजी महिला छात्रावास।
- स्वाधार गृह।
- नारी शक्ति पुरस्कार ।
- महिला पुलिस स्वयंसेवक।
- महिला शक्ति केंद्र।
- निर्भया

महिलाओं का महत्व एवं सशक्तिकरण के तत्व

एक महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एक पुरुष। प्राचीन काल से लेकर अब तक महिलाओं के प्रयत्नो एवं परिश्रम ने समाज की बेहतरी में अहम भूमिका अदा की है ,जबकि इनका यह प्रयत्न एवं श्रम हमेशा ही अनदेखा रहा है। एवं उनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। महिलाओं को बच्चें का प्रथम गुरु माना जाता है। मां द्वारा बच्चें की शारीरिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पालना होती है। इसलिए मां भावी पीढ़ी के गुणों की चाबी है। अगर मां अपनी कीमत समझती है, अगर परिवार में एवं समाज में उसका मूल्य एंव सम्मान है। अगर एक मां पत्नी एवं पुत्री के रूप में वह अपने अधिकारों एवं सुविधाओं का उपभोग करती है तो ये सारे तत्व उसके बेटों एवं बेटियों में आ जाते है। यदि पत्नी को यह पता है कि वह अपने पति के साथ बराबरी की साझेदारी है एवं उसका अपने पति की संपत्ति तथा उसके मानसिक स्तर पर बराबरी का हक है, तो वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपने रचनात्मक ज्ञान, अपने प्रेम एवं अपने आध्यात्मिक सुंदरता का प्रयोग अपने वैवाहिक जीवन के

प्रति कर सकती हैं और अपने वृहद परिवार के जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकती है। अगर जन्म के समय एक बच्ची को प्रसन्नता एवं प्रेम से अपनाया जाता है जो कि उसका मौलिक अधिकार भी है,तो वह परिवार में खुशी हम संतुष्टता का एक स्रोत बन जाती है।

सांस्कृतिक स्थिरता

भौगोलिक दृष्टि से भारत को विविधता का देश कहा जाता है। फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भू–भाग, जिसकी सीमा पुर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ गंगा, यमुना, सतलज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भू–भाग, पश्चिम में थार का मरूस्थल, दक्षिण में तटीय प्रदेश, तथा पूर्व में असम व मेघालय का आति वृष्टि सुरम्य क्षैत्र आते है। भौगोलिक विभिन्नताओं के अलावा इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है।

संस्कृति समय के सापेक्ष होती है यह समय के अनुसार बदलती हैं अर्थात यह सतत प्रवाहमान है।संस्कृति की तुलना एक बहती हुई सरिता से की जा सकती है। जिस प्रकार नदी बहती चली जाती हैं तो एक स्थान पर नदी में बहता हुआ पानी आगे जाता रहता है और उसके स्थान पर दूसरा प्रवाह आ जाता है। यध्यपि नदी यथावत् और शाश्वत बनी रहती है। वही संस्कृति भी है। विषय व तत्व बदलते हैं, सुधरते हैं, रूपांतरित होते हैं और इसी भाँति संस्कृति की सरिता प्रवाहित होती चली जाती हैं। यह एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है और यही सततत्ता संस्कृति को प्रगतिशील एवं गतिशील बनाती है। वर्षों पूर्व हमारे समाज में कन्याओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता था जबकि कम उम्र में ही उनकी शादी कर देने पर बहुधा जोर दिया जाता था। लड़कियां घरों में पढ़ती थी और घर ग्रहस्थी का कार्य सिखती थी जब तक की उनकी सगाई और शादी नहीं हो जाती। पिछले कुछ वर्षों से लड़कियां पढ़ाई और औपचारिक शिक्षा के लिए घर की चार दिवारी से बाहर निकल रही है। आजकल अनेक युवा लड़के और लड़कियां अपने–अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह हम अपनी संस्कृति में कुछ न कुछ नया परिवर्तन देख रहे हैं जबकि इस तरह हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति एक तरफ कुछ नया जुड़ा तो दूसरी तरफ कुछ तत्व प्रचलन से हट गए हैं। इस तरह संस्कृति सदा परिवर्तनशील रहती हैं।

जब हम दूसरों का अभिवादन करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमने 'नमस्कार' करने के साथ अभिवादन का तरीका सिखा है क्योंकि हमने अन्य लोगों को इसी तरह अभिवादन करते देखा है अथवा बड़े–बुजुर्गों ने हमें यह ऐसा ही सिखाया है।

संस्कृति एक सीख या ज्ञान पर आधारित व्यवहार है और यह न तो वंशानुगत अर्जित है और न यह एक मूल प्रवृत्ति परक सहज व्यवहार है। यह मानव द्वारा उस समाज से सीखा या अर्जित किया जाता है जिसमें की वह पाला– पोसा जाता है। अतः मानव समाज के लिए संस्कृति अनुपम और अतुलनीय है। एक पीढ़ी द्वारा प्राप्त ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को एक प्रक्रिया जिसे संस्कार कहते हैं, के द्वारा हस्तानांतरित किया जाता है।

सांस्कृतिक स्थिरता में देखा गया कि लोग अपने मानवीय मूल्य भूलते जा रहे हैं तथा जिससे हम हमारी संस्कृति को बनाते हैं जैसे भावनात्मक पहलू जिसके अंतर्गत दया, करूणा, इमानदारी, गरिमा आदि आते हैं।लोग इनको अपना नहीं रहे और इनको पीछे छोड़ते जा रहे है। परिणाम हमारी संस्कृतिक विरासत बिगड़ती जा रही है,अतः हमें संस्कृति को बनाए रखने के लिए नैतिक आचरण को अपनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुल सारिका ठाकुर, रचना बुधौलिया, रंजना चितले, भारती, डॉक्टर नीलम चोरे, महिला विकास एवं सशक्तिकरण (2016)

2. Annapurna Nautiyal, Himansh Bourrai, (2009)" women Empowerment in Garhwal Himalaya: constraints and prospects, Kalpaz publication, Delhi.

3. Kishor,s. And Gupta,k.(2009). Gender Equality and women. Empowerment in India, National Family Health Survey (NFHS) India, 2005-06

4. Syed J. (2010). Reconstructing Gender Empowerment. Women Studies International forum 53,283-294

5. https:/ncert.nic.in

6. Gender School and Society – जैन मन्दिर प्रकाशन नई दिल्ली

❖◆❖